कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्य प्रदेश
विन्ध्याचल भवन, भोपाल - 462004

पत्र क्र./भूविअ/01/2020/75 भोपाल, दिनांक 4-02-2020

प्रति,

उप/सहायक आयुक्त सहकारिता
एवं परिसमापक
जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास मर्या.,
समस्त (म.प्र.)

विषय :- परिसमापनाधीन जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की संपत्तियों का निराकरण एवं दायित्वों का प्राथमिकता कम निर्धारण करने बाबत ।

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के परिसमापन उपरांत जिला विकास बैंक में पदस्थ कर्मचारियों के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में संविलियन के आदेश जारी किये जा चुके हैं। परिसमापन अंतर्गत अब आपके जिले की विकास बैंकों की सम्पत्तियों का निराकरण एवं दायित्वों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण किया जाना है । इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाये ।

जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतिम वित्तीय पत्रक का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करें। वित्तीय पत्रक में सम्पत्ति पक्ष में जो मुख्य मद हैं उनके संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाये :-

1. जिला विकास बैंक के सम्पत्ति पक्ष में नकद एवं बैंक में जमा मद में जो भी राशि उल्लेखित है, वह आपके पास दायित्वों के निराकरण के लिये उपलब्ध है ।
2. सम्पत्ति पक्ष में सदस्यों से ऋण लेना शेष एवं ब्याज लेना (सदस्यों से ब्याज लेना शेष) मद अंतर्गत जो राशियां हैं, इन राशियों को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को शून्य मूल्य पर हस्तांतरित करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है । अतः इस मद अंतर्गत फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं की जाना है ।
3. विनियोजन मद अंतर्गत जो राशि विभिन्न संस्थाओं में अंशपूंजी या अन्यत्र विनियोजित है उसे प्राप्त करने हेतु तत्काल संबंधित संस्थाओं को लिखें ।
4. जिला बैंक का भवन जो शासकीय लीज की भूमि पर निर्मित है। उसे मूल्यांकन के आधार पर राज्य शासन द्वारा अधिग्रहित करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। अतः इस मद अंतर्गत फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं की जाना है।

   जिला बैंक के ऐसे भवन जो बैंक के स्वामित्व की भूमि पर निर्मित है। ऐसे भवन यदि जिला बैंक द्वारा सहकारी बैंको से लिये गये ऋण के अंतर्गत बंधक नहीं है तो ऐसे भूमि एवं भवन को विक्रय करने हेतु इस कार्यालय के परिपत्र कमांक/ परि/2019/01 दिनांक 01.01.2020 में दिये गये मार्गदर्शन अनुसार कार्यवाही की जाये।

5. यदि जिला बैंक के द्वारा कोई कृषि भूमि नीलामी अथवा अन्य प्रकार से क्रय की गयी है। तो ऐसी भूमि का विक्रय भी परिपत्र क्रमांक/ परि/2019/01 दिनांक 01.01.2020 के अनुसार किया जाये।
6. स्कंध मद अंतर्गत जो स्कंध (पुस्तकें, वाहन, फर्नीचर इत्यादि) शेष हैं, उन्हें इस कार्यालय द्वारा सहकारी संस्थाओं के परिसमापन की विधि एवं प्रक्रिया के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक/परि/2019/01 दिनांक 01.01.2020 दी गई प्रक्रिया के आधार पर निराकरण की कार्रवाई की जाये ।
7. विविध अग्रिम या अन्य मदों के अंतर्गत जो राशियां बैंक के सेवायुक्तों से ली जाना है उसका समायोजन ऐसे कर्मचारियों की देयताओं के प्रति किया जाये। अन्य व्यक्ति/संस्थाओं की बकाया राशि की वसूली हेतु परिपत्र क्रमांक/ परि/2019/01 दिनांक 01.01.2020 प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई की जाये ।
8. इसके अतिरिक्त यदि सम्पत्ति पक्ष में अन्य कोई मद हो तो उसका भी परीक्षण कर वूसल की जाने वाली राशियों की वसूली की जाये अन्यथा ऐसी मदों के अपलेखन की कार्रवाई की जाये ।

वित्तीय पत्रक के दायित्व पक्ष में जो मुख्य मद हैं उनके संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाये :-

1. जिला बैंक के सदस्यों के ऋण शेष एवं उस पर देय ब्याज की राशि को शून्य मूल्य पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को हस्तांतरित किये जाने के संबंध में शासन को प्रेषित म.प्र. राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के शेष ऋण एवं उस पर देय ब्याज की राशि को भी शून्य (जीरो) मूल्य पर हस्तांतरित किये जाने का प्रस्ताव है । अतः इस मद अंतर्गत फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाना है।
2. जिला बैंक के दायित्व पक्ष में अंशपूंजी एवं निधियों के अतिरिक्त शेष मद मुख्य रूप से अन्य देनदारियों में कर्मचारियों की भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, वेतन से संबंधित देनदारी, शासन के अनुदान की बकाया राशि, अंकेक्षण फीस, सावधि/आवर्ती जमा, सहकारी बैंक से सम्पत्ति की प्रतिभूति पर लिये गये ऋण, सहकारी बैंकों से बिना प्रतिभूति लिये गये ऋण, सहकारी संघ को देय चंदा, भवन किराया, आयकर, वृत्ति कर की बकाया राशियां आदि होती हैं । इन देनदारियों की प्राथमिकता का क्रम परिपत्र क्रमांक/ परि/2019/01 दिनांक 01.01.2020 में दिये गये मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित किया जाये।
3. सहकारी संस्थाओं के परिसमापन की विधि एवं प्रक्रिया के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक/ परि/2019/01 दिनांक 01.01.2020 के बिन्दु क्रमांक 17 में लेनदारों की प्राथमिकता के निर्धारण हेतु निम्नानुसार प्रावधान है :-
   (1) परिसमापनाधीन संस्था के परिसमापन से संबंधित व्यय।
   (2) निम्नलिखित ऋण जो एकसमान श्रेणी के हैं, उनके बीच समान रूप से.
      (i) संस्था के परिसमापन में आने से दो वर्ष पूर्व तक की कर्मचारियों की बकाया राशि।
      (ii) सुरक्षित लेनदार जिनके द्वारा किसी संपत्ति की सिक्यूरिटी पर ऋण दिया गया हो।

(3) संस्था के परिसमापन में आने के एक वर्ष पूर्व के कर्मचारियों के अदेय भुगतान।

(4) असुरक्षित लेनदार के बकाया ऋण।

(5) निम्नलिखित शेष राशि जो एकसमान श्रेणी के हैं, उनके बीच समान रूप से

(i) संस्था के परिसमापन में आने से दो वर्ष पूर्व तक की राज्य एवं भारत सरकार की बकाया राशियां।

(ii) सुरक्षित लेनदार की संपत्ति की सिक्यूरिटी पर दिये गये ऋण की बकाया राशि।

(6) अन्य बकाया ऋण एवं शेष राशियां।

(7) अंश की राशि ।

4. जिला बैंक की शेष रही देयताओं के भुगतान का प्राथमिकता कम निर्धारित किया जाकर इसका प्रकाशन राज्य पत्र में कराया जाना है। म.प्र. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा देयताओं के भुगतान की प्राथमिकता का निर्धारण कर इसका प्रकाशन राज्य पत्र में किया गया है। जिसकी प्रति मार्गदर्शन हेतु संलग्न कर प्रेषित है। यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

(डॉ. एम.के. अग्रवाल)
आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं म0प्र0

पत्र क्र./भूविअ/01/2020/75
भोपाल, दिनांक 4.02.2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन सहकारिता विभागं मंत्रालय भोपाल।
2. परिसमापक म.प्र. राज्य कृषि ओर ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भोपाल।
3. संयुक्त आयुक्त सहकारिता समस्त संभाग म.प्र.।

की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं म0प्र0